

नम्बर व
तारीख अहकाम
जो इस हुक्म
की तामील में
जारी हुए

नम्बर
अहकाम
हुक्म व
में ज

तारीख
हुक्म
8/6/22

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

पत्रावली आज दिनांक को प्रशासन गांव के संग अभियान फोलोअप केम्प के तहत केम्प कोर्ट डाबला पर पेश हुई। प्रकरण को अवलोकन किया गया। अवलोकन से प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके पक्ष में प्रार्थी द्वारा ग्राम जासोरिया प0ह0 जासोरिया मू0अ0निरीक्षक क्षेत्र डाबला तहसील बनेड़ा जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 तक की संलग्न की गयी है। प्रकरण मूल रूप से पत्थरगढी/सीमांकन से संबंधित होने से किसी अन्य खातेदारान/पड़ौसियान के हक अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं न ही किसी प्रकार के हक अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी बाबत वर्णित तथ्यों से मेरा समाधान हो जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली करवाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी अंशुल सिंह आर०ए०एस०

मुकदमा नम्बर - 181 /2019 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

नाथु पिता सुरजमल गुजर निवासी काला पीपल जासोरिया तहसील बनेड़ा

-प्रार्थीगण

बनाम

- 1- नाथु पिता मेवा गुर्जर निवासी काला पीपल जासोरिया तहसील बनेड़ा
- 2- जगरूप पिता जाला गुर्जर निवासी काला पीपल जासोरिया तहसील बनेड़ा
- 3-6 हाथीराम, कनीराम, जीवण, धनरूप पिता हालु गुर्जर निवासी काला पीपल जासोरिया तहसील बनेड़ा
- 7- मैरू पिता हरलाल सुथार निवासी झुपडिया जासोरिया तहसील बनेड़ा
- 8- मोतीराम पिता नानू गुर्जर निवासी काला पीपल जासोरिया तहसील बनेड़ा
- 9- शेतान पिता राजु गुर्जर निवासी काला पीपल जासोरिया तहसील बनेड़ा
- 10- महावीर पिता लक्ष्मण सुथार निवासी झुपडिया जासोरिया तहसील बनेड़ा
- 11- रामलाल पिता रूगनाथ सुथार निवासी झुपडिया जासोरिया तहसील बनेड़ा
- 12- नाथु पिता सरदारा गुर्जर निवासी झुपडिया जासोरिया तहसील बनेड़ा
- 13- पांचु पिता पेमा गुर्जर निवासी झुपडिया जासोरिया तहसील बनेड़ा
- 14- कल्याण पिता हजारी गुर्जर निवासी काला पीपल जासोरिया तहसील बनेड़ा
- 15- छोटू पिता हजारी गुर्जर निवासी झुपडिया जासोरिया तहसील बनेड़ा
- 16- राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

-विपक्षीगण


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक :- 08/06/2022

प्रार्थी की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम जासोरिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 647, 648, 669, 670, 777, 778, 781, 806 कुल कित्ता 8 रकबा 11-11 बीघा के खातेदार काश्तकार हैं। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 ग्राम जासोरिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 647, 648, 669, 670, 777, 778, 781, 806 कुल कित्ता 8 रकबा 11-11 बीघा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होकर खातेदार है। प्रार्थी अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से




किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते हैं तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ।

// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा-111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम जासोरिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित प्रार्थीगण की आरजी नम्बर 647, 648, 669, 670, 777, 778, 781, 806 कुल किता 8 रकबा 11-11 बीघा भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक डाबला को 1100/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिस तामिल करा उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावे। पत्थरगढी से पूर्व उभयपक्षकारान की लिखित सहमति प्राप्त ली जावे। लिखित सहमति पश्चात उनकी उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न जावें अन्यथा नहीं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य कास्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावे। अतः भू0अ0निरीक्षक डाबला जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बनेड़ा को पालना हेतु लिखा जावे। आदेश की पालना अपील अवधि समाप्ति पश्चात ही की जावे। अपील अवधि के भीतर आदेश की पालना नहीं की जावे।


निर्णय आज दिनांक 08/06/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर केम्प कोर्ट मुख्यालय डाबला पर सुनाया गया।


(अंशुल सिंह)

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलपि :-

तहसीलदार बनेड़ा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान को नोटिस तामिल करा उनकी मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।


उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा